

न्यायालय सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय-प्रथम, कौशाम्बी।

उपस्थित:-सबा फातिमा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद सं० -836/2002

रामआसरे उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र रामसहाय, निवासी ग्राम कासिमपुर, परगना करारी, तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी। ..... वादी।

**बनाम**

1. श्रीनाथ उम्र लगभग 45 वर्ष ।
2. जगदीश उम्र लगभग 47 वर्ष ।
3. जामिन हुसैन उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र मुशीरजा
4. जामिनरजा उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र जामिन हुसैन
5. कुआरे उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र बुधई
- 5/1 राजकली उम्र 40 वर्ष पत्नी स्व० कुवारे
- 5/2 नीरज उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र स्व० कुवारे
- 5/3 शिवमूरत उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र स्व० कुंवारे
- 5/4 संजय उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र स्व० कुंवारे

समस्त निवासीगण ग्राम कासिमपुर, परगना करारी, तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी। ..... प्रतिवादीगण।

**:- निर्णय :-**

1. वादी ने प्रस्तुत दावा प्रतिवादीगण के विरुद्ध बैनामा मंसूखी व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है।
2. संक्षेप में वादी का कथन इस प्रकार है कि वादी भूमिधरी आराजी संख्या-287 रकबा 0.318 हे० स्थित मौजा फदीदनपुर परगना करारी,

(सबा फातिमा)  
सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय-प्रथम,  
कौशाम्बी।

तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी भूमिधर मालिक स्वामी के रूप में बराबर काबिज व दखील रहा है और इस समय भी काबिज व दखील चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 काफी शोरेपुस्त व गुण्डा किस्म के व्यक्ति है। लगभग एक वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण 1 ता 5 जिनमे से प्रतिवादी सं० 3 जामिन हुसैन अपनी लाईसेंसी बन्दूक से लैश होकर एवं एकराय होकर अचानक वादी के घर पर चढ अये और एकाएक वादी को धर दबोचा और डरवा धमकाकर अपहरण करके अपने कब्जे में रख लिया और वादी के पत्नी श्यामकली को भी इतना डरवा धमका दिया कि वह भी इस घटना की चर्चा किसी से नहीं कर सकी। उसी दरमियान वादी को खूब उल्टा सीधा पढाकर अपने कब्जे में ले लिया और बगैर बताये उपनिबन्धक मंझनपुर के यहां लाकर जबरन बैनामा करवा लिया। वादी ने उपरोक्त बैनामा कतई राजीखुशी में नहीं किया बल्कि डरवश किया है। वादी को अपने खर्चा खानगी के लिए रुपये पैसे की कभी कोई आवश्यकता नहीं रही और न ही वादी को भूमि सं० 287 रकबा 0.318 हे० उपरोक्त को बेचने की ही कोई जरूरत रही कथित दस्तावेज बैनामा दिनांक 10.08.2021 बिल्कुल फर्जी नुमाइशी बातिल व बेअसर है किन्तु उसके कायम रहने से वादी व उसके वारिसान पत्नी व लडको की हकतलफी होगी जिसके कारण प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने की जरूरत पैदा हुई। प्रतिवादीगण 1 ता 6 वादी के जायदाद को हडप करने की नियत से वादी को अपहरण करके अपने कब्जे में करके वादी को खूब डरवा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया था और वादी की पत्नी श्यामकली व उसके लडको को गैर जानकारी में आराजी भूमिधरी संख्या 287 रकबा 0.318 हे० का बैनामा बिना एक पैसा अदा किये प्रतिवादिनी संख्या 6 चन्दनिया पत्नी बुधई के हक में दिनांक

10.08.2001 को तहरीर करा लिया है जिसमें बैनामा के हासिया गवाह प्रतिवादी संख्या 1 श्रीनाथ व दूसरा गवाह प्रतिवादी संख्या 3 जामिन हुसैन है जिसके पास लाईसेंसी बन्दूक है तथा वादी को अपहरण करने का यही कारण था तथा फर्जी बैनामा करवाने के बाद भी प्रतिवादीगण अपने कब्जे में रखे रहे और बार बार यही कहते रहे कि इस बैनामा की बात को तुम अपने घर में या किसी अन्य व्यक्ति से न बतलाना वरना हम लोग तुमको जान से मारकर खत्म कर देंगे। बैनामा करवाने के कुछ समय पश्चात उसी बीच मेरा लडका सीताराम कल्याण से आ गया तब उसको अपहरण की जानकारी हुई। तब उसने तमाम वादी की खोजबीन किया और फिर प्रतिवादीगण के पास आया और काफी कहा सुनी के बाद प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने मुझे छोडा। कथित बैनामा दि० 10.08.2001 वादी रामआसरे बहक प्रतिवादिनी सं० 6 चन्दनिया निम्नलिखित कारणों से मंखू किये जाने योग्य है—

क— वादी ने अपनी आराजी संख्या 287 रकबा 0.318 हे० को बेचने का न तो कोई आवश्यकता रही और न ही वादी ने अपनी जानकारी व राजीखुशी से कोई बैनामा बहक प्रतिवादिनी सं० 6 चन्दनिया तहरीर किया है।

ख— प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने कथित बैनामा करवाने से पूर्व वादी को गुण्डई व बन्दूक की नोक से अपहरण करके गैरकानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखकर डरवा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया और जब वादी को अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा तब कथित बैनामा प्रतिवादिनी सं० 6 चन्दनिया के हक में तहरीर करवा लिया है।

ग— कथित बैनामा के मद में वादी को न तो बैनामा करने के पहले या बैनामा के दिन कोई पैसा दिया गया और न ही वादी ने बैनामा के मद

का कोई रूपया पैसा प्रतिवादीगण से प्राप्त किया।

घ— कथित बैनामा के बिना पर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा दखल बैनामा में लिखी गयी आराजी पर न कभी रहा है और न इस समय है बल्कि वादी बराबर काबिज दखील चला आ रहा है। कथित बैनामा वादी ने अपनी राजी खुशी और जानकारी में नहीं किया है इसलिए वह वाकई में बैनामा नहीं है। वादी तथा उसकी पत्नी व लडको को कथित बैनामा की जानकारी उस समय हुई जब प्रतिवादी सं० 6 चन्दनिया ने तहसीलदार मंझनपुर कौशाम्बी के न्यायालय में नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इस्तहार जारी हुआ तब जानकारी हुई। तब वादी व वादी की पत्नी व लडको ने प्रतिवादिनी सं० 6 चन्दनिया व उसके साथी सहयोगी प्रतिवादीगण 1 ता 5 से कथित बैनामा मंसूख करा लेने को कहा जिस पर प्रतिवादीगण कुछ दिन तक तो बैनामा मंसूख करा देने की बात करते रहे किन्तु अब इंकार कर रहे है जिससे जरूरत नालिश हाजा की पैदा हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त बैनामा के बारे में ग्राम में दिनांक 19.09.01 को हुई पंचायत में विपक्षीगण द्वारा वादी के प्रति अपना अपराध स्वीकार करते हुए दिनांक 22.09.2001 तक पूरा पैसा 65000/-रूपयें वादी को देने तथा न देने पर बैनामा वापस करने की बात स्वीकार की गयी। उक्त पंचायत में श्रीनाथ प्रतिवादी सं० 1 द्वारा 18000/-रु० भूतपूर्व प्रधान देवराज पाल के पास जमा किया गया जो कि अभी तक जमा है पूरा पैसा जमा न करने की स्थिति में उक्त पैसा किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। कथित बैनामा दिनांक 10.08.2001 के कायम रहने से वादी उसके पत्नी व लडको के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडने की आशंका है जिससे प्रस्तुत मुकदमा दाखिल करने की आवश्यकता पैदा हुई। वाद का कारण बरोज इस्तहार जारी बावत

(सबा फातिमा)  
सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय—प्रथम,  
कौशाम्बी।

नामान्तरण अदालत की सीमा के अन्तर्गत पैदा हुई और अदालत को प्रस्तुत मुकदमा सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा याचना की गयी कि अदालत द्वारा कथित दस्तावेज बैनामा वादी रामआसरे बहक प्रतिवादिनी संख्या 6 चन्दनिया दिनांक 10.08.2001 जिसकी रजिस्ट्री पुस्तक सं० 1 खण्ड सं० 115 के पृष्ठ सं० 01-20 में क्रम सं० 1218/2001 पर उपनिबन्धक मंझनपुर कौशाम्बी के कार्यालय दिनांक 10.08.2001 को हुई है मंसूख किया जावे तथा अदालत द्वारा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 ता 6 को हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वह वादपत्र के अन्त में वर्णित आराजी पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें न किसी अन्य से करायें तथा किसी अन्य के हक/हाथ तफसील आराजी को बय बेची न करें।

3. प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र कागज संख्या 18क दाखिल कर वादी के वादपत्र का खण्डन किया और अपने विशेष कथनों में यह अभिकथित किया है कि वादी आराजी नंबर 287 रकबा 0.318 हे० स्थित मौजा फरीदनपुर परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी का मालिक काबिज था परंतु विक्रय विलेख निष्पादित दि० 10.08.21 बहक प्रतिवादिनी सं० 6 श्रीमती चन्दनिया पत्नी बुधई के पक्ष में बैनामा कर देने के बाद प्रश्नगत सम्पत्ति पर हकमालकाना कब्जा दखल श्रीमती चन्दनिया का बराबर होता चला आ रहा है तथा आज भी है। वादी को बिना किसी डरवाए धमकाये अपने सही होश हवास में आकर उचित प्रतिफल मु० 65000/-रु० समक्ष गवाहान प्राप्त कर बैनामा प्रतिवादिनी 6 के हक में प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय विलेख समक्ष सब रजिस्ट्रार मंझनपुर के कार्यालय में निष्पादित किया है। वादी को प्रतिवादी सं० 1

(सबा फातिमा)  
सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय-प्रथम,  
कौशाम्बी।

ता 5 द्वा न कभी डरवाया गया न अपहरण किया गया बैनामा सही होश हवास में वादी द्वारा निष्पादित किया गया है जो वैध है। प्रश्नगत सम्पत्ति का बाजारू मूल्य उचित प्रतिफल के आधार पर निष्पादित किया गया है जो सही है। वादपत्र की धारा 7 में अभिकथन किया गया है कि वादी ने लडके सीताराम को कल्याण से आने पर बैनामा की जानकारी हुई तथा इस धारा में नामान्तरण की कार्यवाही की इशितहार मिलने पर जानकारी होना अंकित है। वादी के स्वयं के कथन पर विरोधाभास है। वास्तविकता यह है कि वादी सोची समझी बदनियत के आधार पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने अतिरिक्त कथन में यह उल्लिखित किया है कि प्रतिवादी सं० 6 बहुत ही सीधी साधी ग्राम की निरक्षर महिला है। वादी ने प्रतिवादी सं० 6 से आराजी सं० 287 रकबा 0.318 हे० का उचित प्रतिफल मु० 65000/-रु० प्राप्त करने पर ही बैनामा निष्पादित किया अतएव बैनामा वैध है। प्रश्नगत सम्पत्ति पर प्रतिवादी उत्तरदाती को बैनामा दिनांक 10.08.01 को वादी द्वारा निष्पादित कर देने से हक मालकाना कब्जा दखल है जिस पर बराबर मालिक काबिज दखील होती चली आ रही है। प्रतिवादिनी के प्रश्नगत भूमि के बावत कब्जा दखल में अवरोध उत्पन्न करने पर न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा वाद सं०-500 वर्ष 2002 श्रीमती चन्दनिया बनाम मखनलाल आदि प्रस्तुत किया जो दिनांक 16.03.04 को उत्तरदार्ती के हक में निर्णीत हो चुका है। वादी द्वारा एक सोची समझी बदनियत के आधार पर उत्तरदार्ती प्रतिवादिनी सं० 6 के विरुद्ध वर्तमान वाद संख्या-836 सन 02 वाद में प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिवादिनी को डरवा धमका कर गलत तरीके रूपया ऐठा जाय। अतएव दावा वादी गलत फर्जी है काबिले मंसूख मय खर्चा है। प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत नामान्तरण कार्यवाही

समय तहसीलदार मंझनपुर न्यायालय में वाद संख्या 710/91/109 सन 2001 ता0 फैसला 18.09.2002 श्रीमती चन्दनिया बनाम रामआसरे दफा 34 एल0आर0एक्ट द्वारा पारित आदेश उपजिलाधिकारी न्यायालय मंझनपुर व आयुक्त मण्डल इलाहाबाद द्वारा वैधता करार दिया गया जिसके आधार पर उत्तरदार्ती प्रतिवादी सं0 6 का हक मालकाना कब्जा दखल मुतवरित चला आ रहा है तथा राजस्व कागजात सरकारी में प्रतिवादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादी व उसकी पत्नी तथा लडका प्रतिवादिनी के घर पर दिनांक 09.08.01 को आये तथा कहने लगे कि हमे पैसे की जरूरत है। प्रश्नगत सम्पत्ति बेचना चाहते है प्रतिवादी सं0 6 के व उनके लडके के कहने पर मु0 65000/-रु0 की कीमत पर भूमि क्रय करने पर तैयार हो गये तथा भूमि की कीमत 65000/-रु0 स्वीकार भी कर लिया। इतने पर वादी ने प्रतिवादी सं0 6 से 65000/-रु0 नगद घर पर ही समक्ष गवाहान व वादी अपनी पत्नी के समक्ष प्राप्त कर लिया तथा मंझनपुर जाकर वादी ने प्रतिवादिनी सं0 6 के हक में प्रश्नगत सम्पत्ति का रजिस्ट्री सुदा बैनामा अपने पत्नी व लडके की उपस्थिति में एवं गवाहान के सामने कर दिया बैनामा पर वादी के अलावा गवाहान के हस्ताक्षर हुए तथा सब रजिस्ट्रार के सामने उस पर गवाहान अपना हस्ताक्षर बनाया तथा वादी के निशानी अंगूठा लगाया और बैनामें को तस्दीक किया। दावा वादी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 से बाधित है। दावा वादी आदेश 2 नियम 2 जा0दी0 से बाधित है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 6 दि0 10.08.2001 से बैनामा निष्पादित होने के दिनांक से मालिक काबिज दखील है तथा राजस्व कागजात में भूमिधर दर्ज है। दावा वादी अनावश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाये जाने के कारण दोषपूर्ण है। अतः दावा वादी निरस्त होने योग्य है।

(सबा फातिमा)  
सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय-प्रथम,  
कौशाम्बी।

प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त बयान तहरीरी कागज संख्या 32क प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी ने आराजी नंबर 287 रकबा 0.318 हे० का उचित प्रतिफल मु० 65000/-रु० प्राप्त करने के बाद दिनांक 10.08.2001 को सब रजिस्टार मंझनपुर के कार्यालय में विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती चन्दनिया के हक में निष्पादित किया है। बैनामा दिनांक से प्रतिवादी सं० 6 का प्रश्नगत सम्पत्ति पर कब्जा दखल बराबर चला आ रहा है वादी द्वारा किसी प्रकार की कोई उज्र व एतराज इसके पूर्व कभी नहीं किया है वादी के कथन की 19.09.01 को पंचायत हुई तथा 22.09.01 को पूरा पैसा 65000/-रु० देने की बात स्वीकार किया कथन बिल्कुल गलत है। अन्य प्रतिवादी से इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार नहीं है गलत आधार पर फर्जी कहानी रचते हुए वादी दावा दाखिल किया है। दावा वादी एक बदनियत वश झूठा फर्जी दावा प्रस्तुत किया है जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 35ए के तहत विशेष हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। दावा वादी दफा 34 एल०आर०एक्ट से बाधित है। दावा वादी जमींदारी विनाश अधि० धारा 331 से बाधित है। दावा वादी विशिष्ट अनुतोष अधि० की धारा 34 व 41 से बाधित है। अतः दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

4. उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त एवं उनके द्वारा दाखिल प्रतिपादनाओं के आधार पर दिनांक 14.11.2008 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये—

1. क्या कथित बैनामा दि० 10.08.01 को वादीगण द्वारा वाद पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर वादी मंसूख करा लेने का अधिकारी है?
2. क्या वाद का मूल्याकन कम अदा किया गया तथा प्रदत्त

(सबा फातिमा)  
सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय—प्रथम,  
कौशाम्बी।



न्यायशुल्क कम अदा किया गया है?

3. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है?
4. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है?
5. क्या दावा वादी पक्षकार के असंयोजन व कुसंयोजन के कारण दोषपूर्ण है?
6. क्या दावा वादी द्वारा वाद का कारण प्रदर्शित न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है?
7. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2022 को निम्नलिखित अतिरिक्त वाद बिन्दु विरचित किया गया—

अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 8—

क्या दावा वादी धारा 34 एल0आर0एक्ट से बाधित है?

अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 9—

क्या दावा वादी जमींदारी विनाश अधि0 की धारा 331 से बाधित है?

अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 10—

क्या दावा वादी विशिष्ट अनुतोष अधि0 की धारा 34 व 41 से बाधित है?

5. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में फेहरिस्त सूची 8ग के माध्यम से एक किता मूल खतौनी , एक किता मूल खसरा, एक किता मूल बैनामा दि0 10.08.01, सूची 91ग से नकल आरोप पत्र व नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, सूची 109ग से छाया प्रति केस डायरी सरकार बनाम कुंआरे लोध धारा 406 भा0द0सं0 थाना करारी दाखिल किया गया है।

(सबा फातिमा)  
सिविल जज जू0डि0/त्वरित न्यायालय—प्रथम,  
कौशाम्बी।

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में सूची कागज संख्या 60ग दाखिल किया गया। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू-1 के रूप में रामआसरे का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 61क, पी0डब्लू-2 रामबहादुर का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 62क तथा पी0डब्लू-3 कृष्णकुमार का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 63क दाखिल किया गया तथा साक्षी पी0डब्लू-1 रामआसरे, साक्षी पी0डब्लू-2 रामबहादुर से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादीगण द्वारा की गयी है।

6. प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 26ग से खतौनी, व खसरा की प्रतियां, सूची 79ग से बैनामा दि0 10.08. 2001 का मूल दस्तावेज दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू-1 श्रीनाथ का साक्ष्य शपथपत्र 77क, डी0डब्लू-2 कुंवारे का साक्ष्य शपथपत्र 84क दाखिल किया गया तथा साक्षी डी0डब्लू-1, साक्षी डी0डब्लू-2 से वादी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

7. पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

**:- निष्कर्ष:-**

9. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1



11. वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या विवादित सम्पत्ति नक्शे में सही दिखायी गयी है?** उक्त दोनो वाद बिन्दुओं को साबित करने का भार वादीगण पर है।

12. वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादीगण का मकान ग्राम सिरियावा कला परगना व तहसील चायल, जिला कौशाम्बी, इलाहाबाद में स्थित है व वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ नक्शा नजरी संलग्न किया गया है जिसमें अपने मकान को वादी द्वारा वाद के साथ संलग्न नक्शा नजरी में क,ख,ग,घ,प,फ,ब,म,र से दिखाया गया है जिसके पश्चिम में वादी का सेहन दरवाजा व सेहन दरवाजे के उत्तर में एक कमरा होना दर्शित किया गया है। जिसमें दो दरवाजे है एक उत्तर व एक दक्षिण जानिब है व एक पुराना नीम का पेड सेहन दरवाजा में कायम चला आ रहा है। वादी द्वारा वादपत्र में यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने सेहन में बने हुए कमरे के दरवाजे उखाड़े और सेहन पर कब्जा करने व सदर दरवाजा बंद करने की कोशिश व नीम के पेड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे है।

13. मौके की वास्तविक स्थिति जानने हेतु अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से कमिशन कराया गया। दिनांक 27.08.2022 को कमिशन आख्या साक्ष्याधीन सम्पुष्ट किया गया है।

14. वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति जरिये वसीयतनामा बताया गया है। वसीयतनामा कागज संख्या 8ग पत्रावली में संलग्न है, जिसमें विवादित सम्पत्ति का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही चौहददी

दर्शायी गयी है वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में विवादित सेहन भूमि पश्चिम की तरफ दर्शायी गयी है और उसके बाद कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। जबकि अमीन की ओर से प्राप्त आख्या में प्रदर्शित नक्शे पर वादी के भवन के पश्चिम की ओर कच्चा रास्ता दर्शाया गया है इससे यह विश्वसनीय नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मकान का निकास उस तरफ बनाये, जिस तरफ कोई रास्ता न हो।

**15.** यहां यह भी स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि स्वीकृत रूप से वादी के नक्शा में दक्षिण रास्ता आम है किन्तु वादी द्वारा दक्षिण की तरफ कोई निकास दर्शित नहीं किया गया है। इससे यह विश्वसनीय नहीं है कि वादी द्वारा निकास आम रास्ते की तरफ न बनाकर उस तरफ बनाया गया है जिस तरफ कोई रास्ता नहीं है जैसा कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित है।

**16.** वादीगण द्वारा बतौर पी0डब्ल्यू-1 मुन्नूलाल जो स्वयं वादी मुकदमा संख्या 1 है को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में वादपत्र का समर्थन किया है व अपने जिरह में कथन किया है कि "यह मकान मुझे कच्चा मिला था। मैंने इसे पक्का मकान बनवाया रियासत अली का खेत मेरे मकान से दक्षिण है। मेरे मकान के पूरब सेहन दरवाजा है। मेरे मकान के पश्चिम सेहन दरवाजा है।" यहां वादी द्वारा दोनो दिशाओ में सेहन दरवाजा बताया गया है, जो कि भ्रमात्मक है जबकि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी एवं अभिकथन की आख्या अनुसार पश्चिम दिशा में सेहन बताया गया था तथा पूरब की तरफ कल्लू, असरफुल का मकान दर्शाया गया है इस प्रकार यह संभव नहीं है कि किसी के मकान में वादी का सेहन हो। वादी द्वारा विवादित भूमि 85 फिट लम्बा व 58 फिट चौड़ी दर्शायी गयी है परन्तु वादी द्वारा

वादग्रस्त भूमि के पश्चिम में क्या है दर्शाया नहीं गया है। जिस कारण वादपत्र का नक्शा पूर्ण नहीं है अस्पष्ट व भ्रामक है।

**17.** इसके उपरान्त वादीगण की ओर से बतौर साक्षी पी0डब्ल्यू-2 शिवबालक ने अपनी जिरह के दौरान कथन किया कि "सुबई के मकान के दो दरवाजे थे असल दरवाजा पश्चिम की तरफ था तथा दूसरा दरवाजा किसी तरफ नहीं था। मुन्नूलाल के मकान के दक्षिण कोई दरवाजा नहीं था।" यहां उक्त साक्षी द्वारा प्रथमतः दो दरवाजा होना स्वीकृत किया गया है किन्तु दूसरे दरवाजे की दिशा नहीं बतायी गयी है जो कि साक्षी के कथनों में विरोधाभाष उत्पन्न करता है। उक्त साक्षी द्वारा अपने जिरह में यह भी कथन किया गया कि "मुन्नूलाल के मकान के दक्षिण खडन्जा है। खडन्जे के दक्षिण रियासत अली का खेत है। खेत पटटे का है व इस पटटे का और हिस्सा सडक के उत्तर है।" यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि वादी मुन्नूलाल द्वारा अपनी जिरह में पृष्ठ संख्या 1 में कथन किया गया है कि रियासत अली का खेत मेरे मकान के दक्षिण है व अमीन आख्या के साथ संलग्न नक्शा नजरी में भी रियासत अली का खेत पश्चिम व दक्षिण में दिखायी गयी है। अतः साक्षी पी0डब्ल्यू-2 ने वादी के कथनों को बल नहीं दिया है।

**18.** साक्षी पी0डब्ल्यू-3 झब्बू द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि "सुबई और मुन्नूलाल के दो मकान हैं सबई का मकान मुन्नूलाल के मकान से जुटा हुआ था। सबई के मकान में बच्चे खाना बनाते थे व मुन्नूलाल के मकान में उनके बच्चे रहते हैं" अतः इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि दो मकान हैं दूसरा मकान मुन्नूलाल द्वारा कहा से खरीदा व हक प्राप्त किया स्पष्ट नहीं है। वादी द्वारा नक्शा वादपत्र में भी दो मकान प्रदर्शित नहीं किये गये हैं। साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह

भी कथन किया गया “इस समय उसमें गेहू की फसल है रियासत की गेहू की फसल है रियासतअली (प्रतिवादी) फिर गेहू माडकर फसल बराबर होते रहते है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि उक्त साक्षी ने वादी के कथनो का बल नहीं दिया है व उक्त भूमि में रियासत अली के गेहू का खेत होना बताया है।

**19.** इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि जिसे वादी ने अपना सेहन बताया है उसकी पूर्ण चौहददी वर्णित नहीं की है जिस मकान का सेहन है उस मकान की कोई नाप वर्णित नहीं की है सेहन भूमि के बावत विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मूल सम्पत्ति से अधिक बडा सेहन/संलग्नक भूमि नहीं हो सकती। सेहन का स्वामित्व जरिये वसीयत प्राप्त नहीं किया जा सकता। वादी के मकान के दक्षिण रास्ते पर उसका निकास न होने एवं दो दिशाओं में स्वयं का सेहन बताने के दृष्टिगत वादी के अभिकथन विश्वसनीय नहीं है। परीक्षित साक्षीगण ने भी वादी के अभिकथित सेहन की स्पष्ट चौहददी और माप के बावत वादी के कथनों का समर्थन नही किया है बल्कि कुछ हद तक प्रतिवादी के कथनों को वादीगण के साक्षी द्वारा बल दिया गया है। अतः वादीगण को विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज व दखील बताने में सफल नहीं रहे है। वाद बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक रूप से निस्तारित की जाती है।

**20.** इसी क्रम उपरोक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि अभिकथित विवादित सम्पत्ति का स्पष्ट व सही नक्शा नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रस्तुत वाद बिन्दु संख्या 5 नकारात्मक रूप से वादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है। .

**21.** निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 व 3-

(सबा फातिमा)  
सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय-प्रथम,  
कौशाम्बी।

वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 का निस्तारण पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 29.04.2010 को किया जा चुका है जो निर्णय का भाग रहेगा।

**22. वाद बिन्दु संख्या 4-** वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 से बाधित है?**

**23.** उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद बिन्दु पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया है न ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादपत्र की धारा 14 में कथन किया गया है कि कोर्ट फीस कम दी गयी है। कोर्ट फीस का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

**24. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 6-** वाद बिन्दु संख्या 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?**

**25.** उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा पर ही बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1 के निस्तारण में यह बल पाया गया है कि वादीगण द्वारा मुख्य अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण पाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादीगण किसी अन्य



अनुतोष को भी पाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि वादीगण अपने मुख्य अनुतोष को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

**26.** इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु संख्या 1 ता 6 के दिये गये निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण अपने किसी भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से किसी भी अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं पाये गये हैं। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है।

**:-आदेश:-**

**27.** वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी उपरोक्त विवेचनानुसार निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक-08.09.2022

(सबा फातिमा)

सिविल जज

जू0डि0 /

त्वरित

न्यायालय-प्रथम,

कौशाम्बी।

आई0डी0नंबर-3431

**28.** आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-08.09.2022

(सबा फातिमा)

सिविल जज

जू0डि0 /

त्वरित

न्यायालय-प्रथम,

(सबा फातिमा)

सिविल जज जू0डि0 / त्वरित न्यायालय-प्रथम,  
कौशाम्बी।

कौशाम्बी ।  
आई0डी0नंबर-3431